शशि भूषण कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक–सह–
विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग

सं०सं०: SHSB/GA/HR/1239/2014

आदेश संख्याः ....

–: आदेश :–

राज्य स्वास्थ्य समिति के विज्ञापन सं० S100 के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (NIDDCP) कार्यक्रम के अंतर्गत Community Medicine Department (PSM), Patna Medical College & Hospital (PMCH), Patna में स्थापित IDD Laboratory के सफल संचालन हेतु निम्नवत् संविदागत पद पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ–6 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	Registration No.	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम	स्थायी पता	मानदेय प्रतिमाह
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	1002275	Lab Technician	श्री राकेश कुमार झा	S/o Jay Rudra Jha, 7HF-1/38, Bahadurpur Housing Colony, Bhoothnath Road, PS-Agamkuan, Patna-800026	₹15,000/-
2	1002526	Lab Assistant	श्री सरोज कुमार वर्मा	S/o Rishi Ram Singh, Vill+PO-Pratap Tand (Aryatola), PS-Bhagwanpur, Vaishali-844123	₹15,000/-

2. उपर्युक्त कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि:–

i. दिनांक 27.12.2016 तक अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

ii. योगदान के पश्चात् सभी चयनित अभ्यर्थी एकरारनामा करने के लिए, स्टाम्प पेपर, अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

iii. यदि किसी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा सरकारी सेवा में हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा उनका नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

iv. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा, नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।

v. उक्त अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vi. पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

vii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

viii. उक्त Laboratory Technician एवं Laboratory Assistant का नियोजन इस शर्त्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ix. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Laboratory Technician एवं Laboratory Assistant के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 6 में अंकित एक मुस्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान क्रमशः FMR code D.2a एवं FMR code D.2b के तहत पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना से किया जाएगा।

3. अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें। उक्त अनुपालन की सूचना अचूक रूप से मानव संसाधन कोषांग के E-Mail Id:- *shsbhrcell@gmail.com* पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–

(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक 6044 .... *पटना, दिनांकः* 19 / 12 / 2016

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः प्रशासी पदाधिकारी/अपर निदेश–वित्त/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी–IDD, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट *www.statehealthsocietybihar.org* पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

19.12.2016

कार्यपालक निदेशक
–सह–
विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, स्वस्थ बिहार दूरभाषः 0612-2290340, 2281545, फैक्सः 2290322,